राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	यादराम बनाम सहदेव हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/11/2025	1237/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/11/2025 को पेश हो।	
18/11/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं रिकार्ड दुरुस्ती का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार कोटपुतली को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार कोटपुतली द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2003 पारित की गयी, जिसके विरुद्ध रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/08/2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का पेश कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2003 की पालना के मुताबिक किये गये अमल दरामद/इन्द्राज को निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी कोटपुतली के निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2003 से पूर्व की स्थिति अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/09/2024 पारित करते हुए प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार कोटपुतली को आदेश प्रदान किये गये कि वह दिनांक 10/12/2003 को पारित डिक्री से पूर्व की स्थिति का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 144 सीपीसी में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30/09/2024 के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है, जिस पर उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30/09/2024 का अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत प्रतीत होता है एवं चूँकि प्रकरण में प्रश्नाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2003 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही दिनांक 05/04/2007 को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार करते हुए निरस्त कर दिया गया है, ऐसे में निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2003 की अनुपालना में राजस्व रिकार्ड में	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	यादराम बनाम सहदेव हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किये गये बदलाव को दुरुस्त किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2003 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति को बहाल रखा जाना ही विधिसम्मत जाहिर होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30/09/2024 में कोई त्रुटी प्रतीत नही होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर